मेरठ विकास प्राधिकरण

की

94 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 11–04–2011

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 94वीं बैठक दिनांक 11–04–2011 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 94वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के कैम्प कार्यालय में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 11–04–2011 को सांय 7.00 बजें सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री जे0सी0 आदर्श,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री सुभाष चन्द शर्मा,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री डी0के0सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।	सदस्य
4.	श्री डी0सी0 गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
5.	श्री वसी मोहम्मद	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव वित्त (व्यय–नियन्त्रण)	सदस्य
6.	श्री यू0के0तायल	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
7.	श्री किशन सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय खण्ड, मेरठ।	सदस्य
8.	डा0 विनोद कुमार	अपर निदेशक, जिला उद्योग, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री उमेश मित्तल	अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ	सदस्य
10.	श्री अनुराग पटेल	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक

प्राधिकरण की 93वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13–12–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

प्राधिकरण की 93वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13–12–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 29–06–2006 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 3

मा० बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर निगम, मेरठ द्वारा बतायी गयी कमियों एवं अवशेष कार्यो के साथ डिफेंस एन्कलेव व श्रद्धापुरी फेस–2 आवासीय योजना तत्काल प्रभाव से नगर निगम को हस्तान्तरित की जाती है।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 18–02–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 2

मा० बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक बारातघर के सम्बन्ध में कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उनके तार्किक निष्कर्ष तक जाकर ही उन्हें बोर्ड बैठक की कार्यवाही से निकाला जाये। शेष बारातघरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही चलती रहेगी।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 30–04–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 8

मा० बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि मा० न्यायालय में विचाराधीन/कार्यवाही न करने हेतु स्थगित किये गये 6 प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करके स्थगनादेश वैकेट कराते हुए उनके विरूद्ध अग्रेत्तर नियमानुसार कार्यवाही की जाय। ध्वस्तीकरण से शेष रह गये 7 अवैध निर्माणों के विरूद्ध अभियान चलाकर उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये तथा स्थलीय निरीक्षण कराकर नये अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जाये।

प्राधिकरण की 89 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 17–11–2009 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 7

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि वेद व्यासपुरी, शताब्दीनगर, गंगानगर विस्तार एवं लोहियानगर योजनाओं को विकसित करते समय योजना का विकसित क्षेत्र का जो अनुपात (रेसियो) तत्समय निकला हो, उसी के अनुसार कृषकों से लिखित सहमति प्राप्त कर उनकी भूमि के समायोजन की कार्यवाही की जाये। योजना के बीच–बीच में अर्जन से छूटी भूमि के अधिग्रहण की लागत (कॉस्ट) और किसानों से भूमि का समायोजन करने पर आयी लागत का तुलनात्मक परीक्षण कर उपर्युक्तानुसार समायोजन की कार्यवाही की जाय।

प्राधिकरण की 92 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 29–07–2010 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 : 1

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जोनों का जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाये और आउटसोर्सेज से बनाये जाने की कार्यवाही की जारी रखी जाय।

मद सं0 : 5

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि शासनादेश के अनुसार सभी दुकानों की एक माह के अन्दर आवंटन की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 93 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 29–07–2010 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 : 6

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद सं0 : 8

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद सं0 : 9

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा अपनी योजना में स्थित सभी कम्युनिटी सेन्टर को विभिन्न प्रयोजन के लिये किराये पर

उठाने हेतु प्रस्ताव में उल्लिखित निर्धारित एक दिन के किराये के साथ–साथ ठेकेदार/किरायेदार द्वारा आयोजकों से प्रतिदिन से ली जाने वाली अधिकतम् धनराशि भी निर्धारित कर दी जाये। उक्त ठेका एक वर्ष की अवधि के लिये किया जाये और उक्त कम्यूनिटी सेन्टर्स (सामुदायिक केन्द्र) के आवंटन/ठेके में उस क्षेत्र के रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशनों को प्राथमिकता दी जाये।

मद सं0 : 10

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ अवलोकित किया गया कि शैक्षिक संस्थाओं को अतिरिक्त प्रतिकर में दी गयी रियायतों के धनराशि की प्रतिपूर्ति, योजनाओं में बची भूमि पर लोड़ करके किया जाय।

मद सं0 : 11

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है। अतः इसे प्राधिकरण की कार्यवाही से निकाल दिया जाये तथा प्रस्तुत प्रकरण जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा शासन के राजस्व विभाग को सन्दर्भित किया जाये।

मद सं0 : 13

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी भूखण्डों की रजिस्ट्री करा दी जाये।

अनुपूरक प्रस्ताव–93वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 13–12–2010 पर अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 : 2

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

अनुपूरक मद सं0 : 4

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण बोर्ड के अग्रेतर निर्णय हेतु विचाराधीन रखा जाय।

अनुपूरक मद सं0 : 6

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

प्राधिकरण की 94वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11—04—2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव—

मद सं0 : 1

वित्तीय वर्ष 2010—11 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2011—12 का प्रस्तावित बजट का प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु प्रस्तुत संशोधित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2011—2012 हेतु प्रस्तुत बजट को अनुमोदित किया गया तथा खेल—कूद के लिये बजट में रूपये 5.00 लाख का प्राविधान करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 : 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पॉकेट एफ में कैंची उद्योग के भूखण्डों के आवंटन की शर्तो में शिथिलता किये जाने हेतु प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि पूर्व बोर्ड के निर्देशानुसार कैंची उद्यमियों को आवंटित किये गये भूखण्डों पर उनके द्वारा कब्जा लेने की प्रगति आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाये। जब तक पूर्व आवंटियों द्वारा आवंटित भूखण्ड पर कब्जा नहीं लिया जाता है तब तक प्रस्ताव स्थगित रहेगा।

मद सं0 : 3

प्राधिकरण की पल्लवपुरम आवासीय योजना के पॉकेट टी में दिनांक 14—12—2006 की निविदा—सह—नीलामी द्वारा मैसर्स जे0पी0 कोलोनाईजर्स प्रा0लि0 के पक्ष में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी—7 के सापेक्ष देय धनराशि को आर्थिक मंदी से सम्बन्धित शासनादेश के क्रम में रिशिड्यूलिंग (किश्तों का पुर्ननिर्धारण) के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह परीक्षण कर लिया जाये कि आवंटी की देय किश्तों की डिफाल्टिंग आर्थिक मन्दी के शासनादेश से पहले की है अथवा बाद की है। यह भी

देख लिया जाये कि उक्त शासनादेश का लाभ डिफाल्टर को देने से क्या लाभ होगा?

मद सं0 : 4

मेरठ विकास प्राधिकरण में शताब्दी नगर आवासीय योजना में कृषकों से हुए समझौते के अनुपालन हेतु श्री महकसिंह पी. सी.एस. (अवकाश प्राप्त) को छः माह के लिये सलाहकार/किसानों से समन्वय स्थापित कर शताब्दीनगर योजना के समझौते को लागू कराने हेतु विशेष कार्याधिकारी के रूप में नामित/नियुक्त किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0 : 5

शताब्दी नगर आवासीय योजना अन्तर्गत पडने वाले ग्राम रिठानी, कुण्डा, अछरोंडा, कचंनपुर घोपला, नगंलाशेरखां उर्फ जैनपुर तथा काशी के कृषकों को कलक्टर द्वारा घोषित अभिनिर्णय के अतिरिक्त, अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान के सम्बंध में दिंनाक 23-09-2010 को जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में किसानों से किये गये समझौते जो प्राधिकरण बोर्ड की 93वीं बैठक दिंनाक 13-12-2010 के अनुपूरक मद स0 02 पर अनुमोदित है, में निम्न संशोधन/स्पष्टीकरण का प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि शताब्दीनगर योजना में अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में सम्पन्न समझौता दिनांक 23-9-2010, 31-01-2011 व दिनांक 12-02-2011 परिचालन के माध्यम से दिनांक 02-04-2011 को समाप्त हो चुका है। अतः अब इस प्रस्ताव पर निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

मद सं0 6

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के बीच–बीच में अर्जन से छूटी भूमि के समायोजन हेतु प्रस्ताव।

निर्णय प्राधिकरण की 89 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 17–11–2009 के अनुपालन मद सं0 7 के अनुसार।

अनुपूरक मद सं0 : 1

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में कार्यरत् वाहन चालकों का फिक्स टी0ए0 बिल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में नवीनतम् शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद सं0 : 2

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शताब्दीनगर आवासीय योजना में कृषकों से पूर्व में किये गये समझौते दिनांक 23–09–2010 यथा संशोधित दिनांक 31–01–2011 एवं 12–02–2011 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में हुई बैठक दिनांक 31–03–2011 के कार्यवृत्त का परिचालन प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 बोर्ड द्वारा उपर्युक्त परिचालन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

अनुपूरक मद सं0 : 3

प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी आवासीय योजना के सेक्टर 8 में औद्योगिक श्रेणी का 1000 वर्ग मीटर भूमि मेरठ जैम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन सोसायटी के पक्ष में आवंटन हेतु प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि वेद व्यासपुरी योजना में नीलामी हेतु आरक्षित दर रूपये 4510/– प्रति वर्ग मीटर पर ही वेद व्यासपुरी योजना के सेक्टर 8 में उपलब्ध अनियोजित औद्योगिक भूमि में

नियोजन करते हुए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड का आवंटन, जैम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन सोसायटी के पक्ष में किया जाये।

अनुपूरक मद सं0 : 4

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शताब्दीनगर आवासीय योजना के कृषक प्रतिनिधियों से दिनांक 08–04–2011 को हुई प्रतिकर सम्बन्धी समझौता बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 बोर्ड द्वारा शा0सं0 1727 / 9–आ–3–2001 / 87एल.ए. / 2000 दिनांक 16, जून 2001 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा शताब्दीनगर योजना के किसानों के साथ किया समझौता दिनांक 08–09–2010 मा0 बोर्ड द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त समझौता केवल शताब्दीनगर नगर योजना पर ही लागू होगा तथा उक्त समझौता के कारण प्राधिकरण पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्ययभार योजना की रिक्त भूमि पर लोड़ किया जाये।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य मा0 सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(अनुराग पटेल) 13/4
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(जे0सी0आदर्श) 13.4.2011
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

18.5.11
(भुवनेश कुमार)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।